

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठारसीन अधिकारी : डॉ० भास्कर विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 23/2025 G.C.M.S. No. 2025/08 दर्ज दिनांक : 20.02.2025

अपीलार्थिगणः

1. चौथाराम पुत्र फकीया, जाति विश्णोई, निवासी सेवडी तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. कालुराम पुत्र फकीया
2. बंशीराम पुत्र फकीया
3. जगमाल पुत्र फकीया
4. भुराराम पुत्र फकीया जातियान् तमाम विश्णोई, निवासी सेवडी तहसील बागोड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बागोड़ा
6. शाखा प्रबन्धक महोदय आई. सी. आई. सी. आई. बैंक शाखा भीनमाल, तहसील भीनमाल जिला जालोर
7. शाखा प्रबन्धक महोदय एसबीआई शाखा भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2019

बअनवान चौथाराम बनाम कालुराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक

डिक्री दिनांक 07.09.2021

पैरोकारः-

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बागोड़ा द्वारा राजस्व वाद संख्या 20/2019 बअनवान चौथाराम बनाम कालुराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.09.2021 की विरुद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सेवडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 725, 726, 832, 959, एवं 959/1627 कुल रकबा 8.61 हैक्टर की आई हुई है जिसमें 1/5 हिस्सा अपीलांट का तथा रेस्पोंडेंटस संख्या 1 से 4 का

1/5 हिस्सा आया हुआ है उक्त आराजी सामलाती है तथा इसका विभाजन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आज रोज तक नहीं हुआ है रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 अपनी मर्जी से अच्छी भूमि पर काश्त करते हैं एवं अपीलांत को काश्त नहीं करने देते हैं। अपीलांत द्वारा दिनांक 15.03.2019 को वाद ग्रस्त आराजी के विभाजन हेतु अनुरोध किया जिस पर रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 द्वारा विभाजन करने से इनकार कर दिया तथा अपीलांत को उसके हिस्से की आराजी पर काश्त नहीं करने देना एवं उसके हिस्से में दखल करने की धमकी दी जिस पर अपीलांत द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 द्वारा अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर बताया की आपसी सहमति से वाद ग्रस्त आराजी का विभाजन अपीलांत व रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 4 के मध्य हो रखा है जिसमें 832 नम्बर की भूमि रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 के हिस्से में, खसरा नम्बर 959 की भूमि रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 व 2 के बंट में, खसरा नम्बर 725 एवं 726 की भूमि अपीलांत व रेस्पोंडेंट्स संख्या 4 के बंट में आई सभी का मौके पर इसी माफिक कब्जा होना बताया एवं यह भी कथन किया की मौके पर रहवासीय ढाणीया बनी हुई है एवं ट्युबवेल से सिंचाई करते हैं। यह भी कथन किया है कि खसरा नम्बर 725 एवं 726 की भूमि जरिये विभाजन अपीलांत व रेस्पोंडेंट्स संख्या 4 को दी जाती है तो उसमें आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अपीलांत द्वारा जबाबुल जवाब पेश कर जवाब का खण्डन करते हुये विभाजन से इंकार किया गया। वस्तुतः रेस्पोंडेंट्स संख्या 1 से 3 खराब एवं उबड़ खाबड़ भूमि नहीं लेना चाहते हैं इस कारण विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाण्डस करवाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2021 को प्राथमिक डिक्री पारित की जिस पर रेस्पोंडेंट्स संख्या 5 से विभाजन प्रस्ताव बाई मिट्स एण्ड बाण्डस मौका देकर भेजने का आदेश दिया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 13.07.2021 को बहस सुनने का आदेश किया है एवं आगामी तारीख पेशी 07.09.2021 को वास्ते प्राथमिक डिक्री लिखा गया है। दिनांक 01.09.2021 की आदेशिका में किसी प्रकार का निर्णय व डिक्री पारित करने का आदेश नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र एवं जवाबदावे में अन्तर होने के बावजूद भी किसी प्रकार की तनकियात जबाबुल जवाब पेश होने के बावजूद नहीं बनाई है न ही किसी भी साक्षी के बयान लिये हैं एवं न ही कोई दस्तावेज प्रदर्श हुआ है। अतः अपीलांत स्वीकार किये जाकर अपीलाधीन अंतिम निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रेषित किया जावें एवं निर्देशित किया जावें की अपीलांत को विभाजन प्रस्ताव पर सुना जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांत की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांत द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

09.2021 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध हस्तगत अपील दिनांक 19.02.2025 को दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गयी।

2. विलंबकाल भाग करने के लिए अपीलांत द्वारा धारा 6 परिशीला अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांत को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई जब रेस्पोंडेंट संख्या 01 से 04 द्वारा अपीलांत को खसरा नम्बर 832, 959 एवं 959/1627 में आने से रोका व कहा कि हमने बाला-बाला खसरा नम्बर 725 एवं 726 को छोड़ कर जो अक्की भूमि थी उसे अपने नाम करवाने के लिए डिक्री प्राप्त कर ली है एवं शीघ्र ही म्यूटेशन करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवा देंगे जिस पर अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से तमाम पत्रावली की नकल मांगी तो जानकारी मिली की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय व डिक्री पारित कर दी है जिस पर अपीलांत द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 29.01.2025 को प्राप्त की है। जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मिलने की जानकारी होने से व उसकी नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतः विलंबकाल भाग कर अपील अपीलांत अंदर म्याद शुमार फरमावें।



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त भूमि के विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.2021 के विरुद्ध अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 19.02.2025 को प्रस्तुत की गई। जो लगभग 1261 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं।
4. पत्रावली के अवलोकन व अपीलांत के प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांत/वादीगण स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत किया था। अपीलांत वादी की जिम्मेदारी थी कि अपने प्रकरण की समय-समय पर न्यायालय से/ अपने अधिवक्ता से जानकारी प्राप्त करते किन्तु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2021 को पारित निर्णय व डिक्री पारित करने के 3 वर्ष 5 माह उपरांत अपील पेश किये जाने से पूर्व तक अपने प्रकरण की कोई जानकारी नहीं की गई। यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत के उक्त कृत्य हेतु सहानुभूति का रूख नहीं अपनाया जा सकता है, इसलिए अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।
5. विलंब के एक-एक दिन के लिए समुचित सद्भाविक व युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण में लगभग 1261 दिन के विलंब के लिए अपीलांत द्वारा कोई सद्भाविक, युक्तियुक्त व उचित कारण दर्शित नहीं किए हैं। जिसे क्षमा किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं होगा।
6. अपीलांतस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों व उज के समर्थन में कोई दस्तावेज आदि पेश नहीं किए हैं। अतः स्पष्ट है कि अपीलांतस द्वारा महज मौखिक कथन करते हुए विलंब के रूप में दर्शित कारण काल्पनिक रूप से अंकित किए हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत पारित किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को विधिविरुद्ध या आरंभतः शून्य प्रकरण भी नहीं माना जा सकता।

7. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-


1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.

2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is preemptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This




राजस्थान अपील प्राधिकारी

litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent

has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed



8. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 1261 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है, साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।
9. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 1261 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश


अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ

राजस्थान अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।




(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली